

## कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि विभागीय पाठ्यक्रम समिति व स्कूल बोर्ड की बैठक आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव 15 दिन पूर्व शैक्षणिक अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत करना है कि विभागीय पाठ्यक्रम समिति की बैठक एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम तीन बार व स्कूल बोर्ड की बैठक अधिकतम एक बार आहूत किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया जाता है तथा कुलसचिव के अनुमोदन के उपरांत कार्यालय आदेश उप कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,  
कुलपति

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

संदर्भ सं० : शैक्षणिक/2020/287

दिनांक : 04 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
2. वित्त अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. परिसर निदेशक, पौड़ी/बादशाहीथौल, टिहरी।
4. निदेशक-आई0क्यू0एसी0/एफ0डी0सी0।
5. संयुक्त कुलसचिव/समस्त उप कुलसचिव/अनुभागीय अधिकारी-शैक्षणिक।
6. सिस्टम मैनेजर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. निजी सचिव-कुलपति, माननीया कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
8. निजी सचिव-कुलसचिव।

04.08.2020  
प्रो० एन०एस० पंवार  
कुलसचिव